

**51. Alienation of <sup>1</sup>Waqf property without sanction of Board to be void.-**

<sup>2</sup>(1) Notwithstanding anything contained in the waqf deed, any lease of any immovable property which is waqf property, shall be void unless such lease is effected with the prior sanction of the Board :

Provided that no mosque, dargah, Khanqah, graveyard, or imambara shall be leased except any unused graveyards in the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh where such graveyard has been leased out before the date of commencement of the Wakf (Amendment) Act, 2013.

(1A) Any sale, gift, exchange, mortgage or transfer of waqf property shall be void *ab initio* :

Provided that in case the Board is satisfied that any waqf property may be developed for the purposes of the Act, it may, after recording reasons in writing, take up the development of such property through such agency and in such manner as the Board may determine and move a resolution containing recommendation of development of such waqf property, which shall be passed by a majority of two-thirds of the total membership of the Board :

Provided further that nothing contained in this sub-section shall affect any acquisition of waqf properties for a public purpose under the Land Acquisition Act, 1894 or any other law relating to acquisition of land if such acquisition is made in consultation with the Board :

Provided also that -

- (a) the acquisition shall not be in contravention of the Places of Public Worship (Special Provisions) Act, 1991;

51. बोर्ड की अनुज्ञा के बिना वक्फ सम्पत्ति का अन्य संक्रामण शून्य होगा.- <sup>2</sup>(1) वक्फ-विलेख में अन्तर्निहित किसी बात के होते हुए किसी अचल सम्पत्ति, जो वक्फ सम्पत्ति है, का पट्टा शून्य नहीं होगा जब तक कि ऐसा पट्टे को मंडल की पूर्व अनुमति से प्रभावी नहीं किया गया हो;

परन्तु यह कि कोई भी मस्जिद, दरगाह, खानगाह, कब्रिस्तान या इमामबाड़ा का कोई पट्टा नहीं किया जाएगा इसके सिवाय कि पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेशों में स्थित ऐसे अनुपयोगी कब्रिस्तान को वक्फ (संशोधन) अधिनियम सन् 2013 की प्रारम्भिक दिनांक के पूर्व यदि पट्टा दे दिया गया हो।

(1-क) वक्फ की सम्पत्ति का कोई विक्रय, दान, विनिमय, बंधक या अंतरण आरम्भ से शून्य होंगे;

परन्तु यह कि यदि इस अधिनियम के उद्देश्यों हेतु किसी वक्फ सम्पत्ति का विकास हेतु मंडल संतुष्टि है, तब मंडल, लिखित में कारणों को अभिलिखित करने के उपरांत, ऐसी सम्पत्ति का विकास ऐसे अधिकर्ता एवं ऐसी प्रक्रिया में, जैसा कि मंडल द्वारा निश्चित किया गया हो एवं ऐसी वक्फ सम्पत्ति के विकास के प्रस्ताव को मंडल के समक्ष रखा जाएगा, जिसे मंडल के कुल सदस्यों के संख्या के दो तिहाई बहुमत से पास किया जाएगा।

परन्तु आगे यह कि लोक-उद्देश्यों हेतु इस उपधारा में विहित निहित प्रावधानों से वक्फ सम्पत्ति का अधिग्रहण भू-अर्जन अधिनियम 1894 या तत्संबंधित भू-अर्जन संबंधी अन्य विधि अंतर्गत प्रभावित नहीं होगा, यदि ऐसा अधिग्रहण मंडल की सम्मति से किया गया है;

परन्तु यह भी कि-

- (क) अधिग्रहण से लोक-आराधना (विशेष प्रावधानों) संबंधी स्थल अधिनियम 1991 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

1. Amended by the waqf (Amendment) Act, 2013

2. Inserted by the waqf (Amendment) Act, 2013

- (b) the purpose for which the land is being acquired shall be undisputedly for a public purpose.
- (c) no alternative land is available which shall be considered as more or less suitable for that purpose; and
- (d) to safeguard adequately the interest and objective of a the waqf, the compensation shall be at the prevailing market value or a suitable land with reasonable solatium in lieu of the acquired property.";
- (ख) जिस उद्देश्य हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जाना है, वह निर्विवाद रूप से लोक-उद्देश्य होना चाहिए;
- (ग) उस उद्देश्य हेतु अन्य वैकल्पिक अधिकार या न्यून भूमि अनुपलब्ध थी; एवं
- (घ) वक्फ के उद्देश्यों एवं हितों की पर्याप्त सुरक्षार्थ हेतु प्रचलित बाजार दर से अर्जित सम्पत्ति का मुआवजा या उपयुक्त भूमि समुचित सोलेशियम सहित प्रदत्त की जाना चाहिए।"

## टिप्पणी

वक्फ के पंजीकरण एवं वक्फ-पंजी की प्रविष्टियों से सम्बन्धित प्रकरणों को मण्डल/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी द्वारा निर्णीत किया जा सकता है। (अफजल हुसैन वि. प्रथम अति. जिला न्यायाधीश ए.आई.आर. 1985 इलाहाबाद 79)।

**52. Recovery of <sup>1</sup>Waqf property transferred in contravention of Section 51.**-(1) If the Board is satisfied, after making any inquiry in such manner as may be prescribed, that any immovable property of a <sup>1</sup>Waqf entered as such in the register of <sup>1</sup>Waqf maintained under section 36, has been transferred without the previous sanction of the Board in contravention of the provisions of <sup>2</sup>Section 56, it may send a requisition to the Collector within whose jurisdiction the property is situate to obtain and deliver possession of the property to it.

(2) On receipt of a requisition under sub-section (1), the Collector shall pass an order directing the person in possession of the property to deliver the property to the Board within a period of thirty days from the date of the service of the order.

(3) Every order passed under sub-section (2) shall be served-

(a) by giving or tendering the

52. धारा 51 के उल्लंघन में अंतरिम की गयी वक्फ की सम्पत्ति की वसूली.- (1) यदि बोर्ड, इस प्रकार के तरीके से, जैसा कि विहित किया जाए, कोई जांच करने के पश्चात् संतुष्ट हो जाता है कि वक्फ की किसी अचल सम्पत्ति को जिसको कि धारा 36 के अधीन कायम रखे गये वक्फ के रजिस्टर में प्रविष्ट किया गया, धारा 56 के उपबन्धों के उल्लंघन में बोर्ड की पूर्व मंजूरी के बिना ही अंतरित किया जा चुका है, तो वह उस कलेक्टर को तलब कर सकेगा जिसकी अधिकारिता के भीतर सम्पत्ति प्राप्त करने के लिए स्थिर होती है और इसके सम्पत्ति के कब्जे का परित्दान कर सकेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन अधिग्रहण की प्राप्ति पर, कलेक्टर आदेश की तामील की तिथि से तीस दिनों के भीतर सम्पत्ति के कब्जेधारी को निर्देशित करने वाला एक आदेश पारित करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन पारित किया गया हर एक आदेश की तामील-

(क) उस व्यक्ति को आदेश देकर या डाक

1.-Amended by the waqf (Amendment) Act, 2013

2. Inserted by the waqf (Amendment) Act, 2013